झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
कार्यालय ज्ञापन

संख्या–16 / विविध–04–10 / 2016 का.– 2117 / राँची, दिनांक 20/03/2020

विषय : **नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के उपाय के सम्बन्ध में।**

इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन–2065 दिनांक–19.03.2020 के क्रम में निम्नलिखित अग्रतर निर्देश जारी किये जाते हैं:–

(i) प्रोजेक्ट भवन, एम0डी0आई0 भवन, एफ0एफ0पी0 भवन, पुलिस मुख्यालय, इंजिनियरिंग हास्टल, नेपाल हाउस, योजना भवन तथा राँची अवस्थित सचिवालय के अन्य भवन एवं समाहरणालय में विभिन्न प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) उक्त भवनों में विभिन्न प्रवेश द्वारों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि 50 प्रतिशत अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रत्येक दिन कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से कार्य निबटाने का निदेश दिया जाय। पहले सप्ताह के लिए रोस्टर तैयार करते समय विभागाध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि अराजपत्रित कर्मचारियों के साप्ताहिक रोस्टर का मसौदा तैयार कर एकान्तर (Alternate) सप्ताह में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा जाए। इसमें उन कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाए जो कार्यालय के नजदीक रहते हैं या कार्यालय आवागमन के लिए निजी वाहन का प्रयोग करते हैं। जहाँ अराजपत्रित कर्मी की संख्या कम है वहाँ उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन संबंधित विभागाध्यक्ष विवेकानुसार करेंगे।

(iv) वैसे कर्मचारी जो रोस्टर के अनुसार निर्धारित दिन को घर से कार्य करेंगे, उन्हें सदैव टेलिफोन तथा संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर सुलभ रहना चाहिए। कार्याधिक्य की स्थिति में बुलाये जाने पर उन्हें कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

(v) ये निर्देश संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों स्वायतशासी/सांविधिक निकायों को भी जारी किया जाए।

(vi) ये निर्देश उन कार्यालयों तथा कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो COVID-19 के प्रसार–नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

(vii) ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा 04 अप्रैल 2020 तक लागू रहेंगे।

20/3/20
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–16 / विविध–04–10 / 2016 का.– 2117 / राँची, दिनांक 20/03/2020

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/20
सरकार के प्रधान सचिव।